कार्यालय जिलाधिकारी(भूलेख अनुभाग) अलीगढ़

पत्रॉक– 26 /सात भूलेख/कृषि अपशिष्ट जलाना /दिनॉक– 09-05-18

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कृषि अवपशिष्टों को जलाये जाने पर निषेघ के उलंघन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण एवं वसूली की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

समस्त उपजिलााधिकारी
जनपद–अलीगढ़

उक्त बिषयक मा0 राजस्व परिषद के पत्र संख्या–2078/41ए/2017 दिनॉक 03–05–2018 द्वारा अवगत कराया गया हैं इकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0एस0सं0 संख्या–118/2013 विकान्तकुमार तोगड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा ओ0एस0सं0–21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में दिनॉक 02–04–2018 को मुख्य सचिव महेदय, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित बैठक में निर्देशित किया गया है किग्न प्रारूप पर अद्यतन सूचना/कार्यवाही की सूचना तत्काल कृषि निदेशक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

1– विभाग द्वारा एक बिशेष सचिव से अनिम्न स्तर के नोडल अधिकारी नामित किये जाय।

2– कृषि अपशिष्ट जलाने वाले दोषी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु निम्न प्रकार से अर्थदण्ड बसूले जाने के निर्देश है:–

i. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड से कम होने की दशा में अर्थदण्ड रू0 2500/– प्रति घटना

ii. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 02 एकड से अधिक किन्तु 5 एकड तक होने की दशा में अर्थदण्ड रू0 5000/– प्रति घटना

iii. कृषि भूमि का क्षेत्रफल 05 एकड से अधिक होने की दशा में अर्थदण्ड रू0 15000/– प्रति घटना।

अतः उक्त के क्रम में तहसील स्तर पर सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मा0 राजस्व परिषद द्वारा अर्थदण्ड वसूली के क्रम में व्यापक प्रचार प्रसार/जागरूकता/ प्रत्येक विभाग की गोष्ठियॉ/कार्यशालाओं तथा प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में वॉल पेन्टिंग/ फ्लेक्सी तथा किसान सेवा केन्द्र विभागीय सी0यू0जी0 नम्बरों पर कॉलर टयून के माध्यम से कराये जाने एवं राजस्व विभाग के अन्तर्गत लेखपालों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने की यदि घटना होती है तो उसके फलस्वरूप दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित नायव तहसीलदार/तहसीलदार को 03 दिन में सूचित करेगा और नायव तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित के बिरूद्ध 03 दिन के अन्दर सुस्पष्ट कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में नायव तहसीलदार/तहसीलदार के स्तर पर सुनवाई करने के पश्चात दोषी पाये जाने के फलस्वरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड का अधिरोपण करेगा। समस्त कार्यवाही मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ए0सी0टी0 के सुसंगत प्राविधानों एवं एन0जी0टी0 के कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आर0एन0 शर्मा)
अपरजिलाधिकारी (प्रशासन)
अलीगढ़

संख्या एवं दिनॉक– उक्त।

प्रतिलिपि–

1– आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ की सेवा में सूचनार्थ।

2– मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ की सेवा में इस आशय के साथ कि उक्त के सम्बन्ध में खण्डविकास अधिकारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

3– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अलीगढ़ को इस आशय के साथ कि जनपद अलीगढ़ की बेवसाइट के नोटिस वोर्ड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपरजिलाधिकारी (प्रशासन)
अलीगढ़